हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001
Email: phdcell@durguniversity.ac.inWebsite: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359100

क्र. / 619 / शोध / 2026 दुर्ग, दिनांक 10 / 02 / 2026

//सूचना//

पी–एच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2822/शोध/2024, दुर्ग, दिनांक 28/02/2024 में सम्मिलित पी–एच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों को अध्यादेश क्रमांक–45 (संशोधित) एवं भारत का राजपत्र सं. 544, नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुसार शोध केन्द्र (Research Center) में प्रवेश के संबंध में दिशा – निर्देश निम्नानुसार हैः

1. पी.–एच.डी. हेतु पात्र समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक – 45 एवं भारत का राजपत्र सं. 544, नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 का अध्ययन अनिवार्य रूप से करें।
2. अभ्यर्थी संबंधित विषय में शोध निर्देशक (Supervisor) के रिक्त सीटों एव शोध केन्द्रों (Research Center) की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं।
3. **ऐसे पात्र अभ्यर्थियों, जिनके पी–एच. डी. पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 27/02/2026 को समाप्त होने वाली है, हेतु शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक एवं समस्त प्रकियाएँ दिनांक 11/02/2026 से 25/02/2026 तक के मध्य शोध केन्द्रों द्वारा अनिवार्यतः पूर्ण करायी जानी है।**
4. अभ्यर्थियों को उपर्युक्त निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित विषय हेतु मान्य शोध केन्द्रों से सम्पर्क कर शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक तिथि की जानकारी प्राप्त कर उक्त तिथि अनुसार बैठक में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगें।
5. अभ्यर्थी को शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक में उपस्थित होने हेतु निम्न दस्तावेंजो/अंकसूचियों की 2 सेट छायाप्रति (Photocopy) सहित मूलप्रति को सत्यापन के लिए शोध केन्द्र में ले जाना अनिवार्य होगाः
   i. पी–एच.डी. ऑनलाईन आवेदन फार्म की छायाप्रति।
   ii. पी–एच.डी. प्रवेश/पंजीयन फार्म।
   iii. वि. वि. द्वारा जारी **पी–एच. डी. पात्रता प्रमाण पत्र।**
   iv. 10वी एवं 12वी की अंकसूची।
   v. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
   vi. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकता अनुसार)
   vii. निवास प्रमाण पत्र (आवश्यकता अनुसार)
   viii. गेप सर्टिफिकेट (आवश्यकता अनुसार)
   ix. आधार कार्ड

Scanned with OKEN Scanner

6. अभ्यर्थी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जमा करेंगे (शासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थियों को नियमानुसार उच्च शिक्षा विभाग/अन्य संबंधित शासकीय विभाग द्वारा/ अशासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थी को नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र)।
7. शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक में अभ्यर्थी द्वारा अधूरे/ अपूर्ण दस्तावेजों/ अंकसूचियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र में **दिनांक 27/02/2026 तक** प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
9. शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की अनुशंसा पश्चात् अभ्यर्थी को शोध केन्द्र में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate), छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य (छ.ग. के निजी/राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालय) से अध्ययन कर के आए, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की अनुशंसा पश्चात् जिस अभ्यर्थी को पी–एच.डी. रजिस्ट्रेशन फार्म में शोध निर्देशक की हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त होती है, वे अभ्यर्थी चयनित शोध केन्द्र में कंडिका 05 में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों की 2 सेट छायाप्रति को जमा कर ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
11. अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक छः माही शोध शिक्षण शुल्क (प्रयोगशाला वाले विषयों के लिये 7500/– रू. और बिना प्रयोगशाला विषयों के लिये 5000/– रू.) का 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
12. अभ्यर्थी **को पी–एच.डी. छः माही शिक्षण शुल्क की राशि विश्वविद्यालय** द्वारा **निर्धारित यूको बैंक के खाता कमांक 18290110059791**में निर्धारित संलग्न चालान के माध्यम से जमा कर विश्वविद्यालय में चालान कॉपी को एवं शोध केन्द्रो में जमा किये गये शुल्क रसीद की छायाप्रति सहित पी–एच.डी. प्रकोष्ठ में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
13. **अभ्यर्थियों को शोध केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय से 10 दिवस के अंदर पी–एच.डी. हेतु नामांकन कराना अनिवार्य होगा (यदि अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये हो)।**

उपरोक्तानुसार यह भी कि शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की अनुशंसा पश्चात् शोध केन्द्रों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक–45 (संशोधित) और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों हेतु जारी आदेश/निर्देश/नियमों एवं सूचनाओं का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कुलसचिव

पृ. क्र./620/शोध/2026

दुर्ग, दिनांक 10/02/2026

प्रतिलिपिः

1. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव वि.वि., दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, पी–एच. डी. प्रकोष्ठ

Scanned with OKEN Scanner